24(372)/02-सीडीएन

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 9 जनवरी, 2004

कार्यालय आदेश सं. 1/2004

विषयः अंतरण आवेदनों पर कार्यवाही

अंतरण आवेदनों पर कार्यवाही की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार इनपुट प्राफोर्मा प्रापर्टी/लीज अनुभागों द्वारा भरे जाते हैं और वसूली योग्य ग्राउंड रेंट से संबंधित प्रोफार्मा का कॉलम सं. 15 भरने के लिए फाइलें लेखा अनुभाग को भेजी जाती हैं। लेखा अनुभाग द्वारा ग्राउंड रेंट के बकाये को दर्शाने के बाद संबंधित फाइलें संबंधित संपत्ति/लीज अनुभागों को लौटा दी जाती हैं। इसके बाद ग्राउंड रेंट सहित वसूली योग्य बकाये दर्शाते हुए अंतरण की शर्तें तैयार की जाती हैं और विधीक्षा के लिए फाइलें आंतरिक लेखापरीक्षण प्रकोष्ठ को भेजी जाती हैं।

2. मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और यह पाया गया है कि इससे अंतरण के मामलों पर कार्यवाही/निपटान में विलंब होता है। ग्राउंड रेंट के बकायों से संबंधित रिकार्ड संबंधित संपत्ति फाइलों और लेखा अनुभाग में उपलब्ध होंगी। इसलिए अब इनपुट प्रोफार्मा में ग्राउंड रेंट के बकायों को दर्शाने के लिए अंतरण फाइलों को लेखा अनुभाग भेजने की अपेक्षा को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। अब इसके आगे संबंधित संपत्ति/लीज अनुभाग फाइल में उपलब्ध रिकार्ड्स के अनुसार ग्राउंड रेंट सहित सभी वसूली योग्य बकायों की पूरी शर्तों को तैयार करेगा और इसे विधीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षण अनुभाग को भेजेगा। तथापि, जिन मामलों में मुख्य फाइल गायब है और संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया जाना है या जहां पट्टाधारी द्वारा जमा कुछ राशि की प्राप्ति का प्रमाण अपेक्षित है इस प्रकार की फाइलें पुष्टिकरण/स्पष्टीकरण के लिए लेखा अनुभाग को भेजी जानी चाहिए।

3. यह भूमि और विकास कार्यालय की अनुमति से जारी किया जाता है।

Sreekumar

(वी. श्रीकुमार)

जनसंपर्क अधिकारी

दूरभाषः 230114448

प्रति

सभी अधिकारी/अनुभाग